

Consumer Complaint No. DC/375/CC/169/2025	Vinay Kumar Verma Vs. Sharda Motors Corp & Anr.	Pronounced on Date 29.05.2026
---	---	-------------------------------------

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांक-07 / 11 / 2025
अंतिम तर्क दिनांक-19 / 05 / 2026
आदेश दिनांक-29 / 05 / 2026

परिवाद प्रकरण क्रमोंक-DC/375/CC/169/2025

विनय कुमार वर्मा पिता श्री रमेश कुमार वर्मा,
निवासी-184, आशीर्वाद वेली, वार्ड नं.04 नगर
पंचायत बोदरी, रायपुर रोड, थाना चकरभाठा
तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

परिवादी
द्वारा श्री रविशंकर तिवारी, अधिवक्ता

// विरुद्ध //

1. शारदा मोटर्स कार्प,

द्वारा-प्रबंधक,

पता-अंडर तिफरा, फ्लाई ओवर के पास एच.नं.650 / 12,

महाराणा प्रताप चौक, तिफरा सूर्या हॉस्पिटल के पास

बिलासपुर (छ.ग.)

विरोधी पक्ष क्र.1
अनुपस्थित

✓ 2. गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड,

अटल नगर न्यू रायपुर, सेक्टर EN बिल्डिंग

इलेक्ट्रिक स्कूटर मेनुफेक्चरिंग न्यू रायपुर (छ.ग.)

दूसरा पता-गोदावरी मोटर्स प्रा.लि. जी.-7 एवं जी.-8

हिराएकरेड न्यू बस स्टैंड, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.)

विरोधी पक्ष क्र.2
द्वारा श्री संदीप अग्रवाल, अधिवक्ता

समक्ष:

माननीय आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष

माननीय आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य

// आदेश //

(द्वारा-आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष)

1. परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत परिवादी द्वारा विरोधी पक्ष क्र.1 से क्रय की गई, विरोधी पक्ष क्र.2 द्वारा निर्मित दुपहिया स्कूटर में यांत्रिकी विनिर्माण त्रुटि आने पर उसे सुधार कर न दिये जाने से सेवा में कमी के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है। उक्त आधार पर परिवादी ने विरोधी पक्षगण से 89,999/-रूपये मय ब्याज,

Consumer Complaint No. DC/375/CC/169/2025	Vinay Kumar Verma Vs. Sharda Motors Corp & Anr.	Pronounced on Date 29.05.2026
---	---	-------------------------------------

मानसिक क्षतिपूर्ति 50,000/-रु आर्थिक क्षतिपूर्ति 50,000/-रु. वाद व्यय 25,000/-रु., प्रतिमाह नुकसानी 25,000/-रु एवं अन्य अनुतोष चाहा है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध अभिकथनों, दस्तावेजों, शपथ पत्र एवं तर्क के आधार पर स्वीकृत एवं अविवादित तथ्य निम्नानुसार है:-

परिवादी ने विरोधी पक्ष क्र.2 द्वारा निर्मित EBLU FEO X 2W BOV L1 SCOOTER GRAPHITE GREY को 89,999/-रु. में दिनांक 30.08.2024 को टैक्स इन्वाइस प्र.सी.06 के अनुसार विरोधी पक्ष क्र.1 से क्रय किया था।

3. प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, परिवादी द्वारा क्रय की गई वाहन कुछ माह ठीक चलने के पश्चात उसमें यांत्रिकी त्रुटि आने लगी, वाहन पिकअप नहीं ले रहा था तथा एक से अधिक सवारी खींचने में अक्षम हो गया था, वाहन बार-बार बंद हो जा रहा था। परिवादी ने वाहन में यांत्रिकी त्रुटि आने पर उसे सुधार हेतु दिनांक 19.11.2024, 03.12.2024 एवं 01.03.2025 विरोधी पक्ष क्र.1 के यहाँ लेकर गया था, किन्तु उक्त यांत्रिकी सुधार नहीं हुआ। विरोधी पक्ष क्र.1 के उक्त कृत्य से परिवादी को अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ा है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23.06.2025 विधिक सूचना पत्र प्रेषित कर वाहन की कीमत मांग की गई। उक्त सूचना पत्र विरोधी पक्ष क्र.1 को दिनांक 24.06.2025 को प्राप्त होने के पश्चात भी न तो जवाब दिया गया और न ही मांगी गई राशि प्रदान किया गया, इसलिए वांछित अनुतोष हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4. विरोधी पक्ष क्र.1 एकपक्षीय रहा है। उसके द्वारा लिखित कथन, शपथ पत्र एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. विरोधी पक्ष क्र.2 की ओर से विस्तृत लिखित कथन प्रस्तुत कर प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि, परिवाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने का भार पूर्णतः परिवादी पर रहा है। वाहन विक्रय पश्चात डिलिवरी दिये जाने के उपरांत विरोधी पक्ष क्र.2 को तथ्यों का ज्ञान नहीं है कि परिवादी द्वारा वाहन का रख-रखाव एवं उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। क्रेता का दायित्व है कि वाहन के रख-रखाव तथा उपयोग के संबंध



में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। परिवादी ने वाहन में यांत्रिकी त्रुटि के संबंध में कोई तकनीकी विशेषज्ञ रिपोर्ट पेश नहीं किया है। तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के बिना विनिर्माण संबंधी त्रुटि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। परिवादी ने स्कूटर अगस्त 2024 में क्रय की थी, लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात ऐसी शिकायत की है जो सदभावी न होकर लंबे समय तक उपयोग किये जाने तथा अनुचित रख-रखाव के परिणामस्वरूप खराब हुई होगी, न कि विनिर्माण दोष के कारण। इस प्रकार विरोधी पक्ष क्र. 2 द्वारा किसी प्रकार से कोई सेवा में कमी नहीं किया गया है।

6. परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के अलावा सूची अनुसार दस्तावेज परिवादी का आधार कार्ड, विधिक नोटिस, डाक पावती, प्राप्ति स्वीकृति, वापसी सूचना पत्र, टैक्स इन्वाइस, पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पालिसी, सर्विस रिकार्ड एवं केश क्रेडिट मेमो प्रस्तुत किया है।

7. विरोधी पक्ष क्र.2 की ओर से लिखित कथन के समर्थन में Nandini Nagpal, New Delhi का शपथ पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज जॉबकार्ड प्र.ओ. पी.01 से 08 एवं Board Resolution प्रस्तुत किया है।

8. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

9. विचारणीय प्रश्न निम्न है:-

क्या विरोधी पक्षगण द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है ?

निष्कर्ष के आधार

10. परिवादी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों के अनुरूप विरोधी पक्ष क्र.2 द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक स्कूटी को विरोधी पक्ष क्र.1 से क्रय किये जाने के दिनांक 30.08.2024 के पश्चात यांत्रिकी त्रुटि होना व्यक्त किया है। परिवादी ने उक्त वाहन कुछ माह ठीक चलने के पश्चात पिक-अप नहीं लेना और एक से अधिक सवारी खींचने में असमर्थ होकर बार-बार बंद हो जाना व्यक्त किया है। परिवादी ने वाहन की यांत्रिकी त्रुटि अथवा विनिर्माण संबंधी दोष के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य, तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की है। परिवादी ने वाहन की प्रथम सर्विसिंग कूपन प्र.सी.09 प्रस्तुत किया है,



Consumer Complaint No. DC/375/CC/169/2025	Vinay Kumar Verma Vs. Sharda Motors Corp & Anr.	Pronounced on Date 29.05.2026
---	---	-------------------------------------

जिसमें दिनांक 19.11.2024 को वाहन 2000 कि.मी. चलने के पश्चात सर्विसिंग करायी गई है। इसी प्रकार दितीय सर्विसिंग कूपन प्र.सी.10 के अनुसार दिनांक 03.12.2024 को 3000 कि.मी., प्र.सी.11 के अनुसार तृतीय सर्विसिंग कूपन दिनांक 01.03.2025 को 6265 कि.मी. पर करायी गई थी। परिवादी ने दिनांक 14.04.2025 प्र.सी.12 बिल के अनुसार Indicator Switch का 80/-रु. भुगतान कर बदलवाया जाना दर्शित किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने प्र.सी.13, 14 एवं 15 है, उक्त सर्विस रिकार्ड, जॉबकार्ड डिटेल्स प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्विसिंग के दौरान कोई तकनीकी त्रुटि होना, वाहन का बार-बार बंद हो जाना अथवा पिकअप न लेने संबंधी कोई शिकायत दर्ज नहीं रही है। विरोधी पक्ष क्र.2 की ओर से अपने लिखित कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा क्रय की गई उक्त इलेक्ट्रिक वाहन के जॉबकार्ड प्र.ओ.पी.01 से ओ.पी.16, 17 पृष्ठों के कुल 08 जॉबकार्ड विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत किये गये हैं। उसमें भी किसी प्रकार की कोई यांत्रिकी त्रुटि होना अथवा वाहन की वारंटी अवधि में जो 30,000 कि.मी. या दिनांक 30.08.2027 तक प्रभावी थी के दौरान परिवादी द्वारा वर्णित यांत्रिकी त्रुटि अथवा वाहन की पिक-अप न लेना और बार-बार बंद हो जाने की समस्या उसमें शिकायत के रूप में दर्ज नहीं होना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है।

11. विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि परिवादी द्वारा वाहन क्रय किये जाने के पश्चात विभिन्न अवसर पर अन्य त्रुटियों के सुधार हेतु लाई गई थी। डेढ़ वर्ष की अवधि में वाहन 10,000 कि.मी. से ज्यादा चल चुकी है, इसलिए कोई खराबी नहीं पाया गया था जो परिवाद में उल्लेखित तकनीकी त्रुटि या विनिर्माण संबंधी दोष को बताता हो। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि वाहन में विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत जॉबकार्ड के अनुसार विभिन्न अवसर पर कई त्रुटियों के सुधार हेतु लाई गई थी, जिसमें बैटरी फूल चार्ज न होना आदि अन्य त्रुटियाँ उसमें उल्लेखित की गई है और विभिन्न जॉबकार्ड में No Details Available भी लिखा गया है। विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में परिवादी के उन तथ्यों को खण्डित करते हुए यह व्यक्त किया है कि परिवादी ने परिवाद में जो वाहन में विनिर्माण

संबंधी दोष बताया है वह कमी नहीं रहा है। परिवादी ने लगातार डेढ़ वर्ष तक का वाहन का उपयोग सही तरीके से किया है, सामान्य त्रुटियों की सुधार समय-समय पर की गई है। इस प्रकार उनकी ओर से कोई सेवा में कमी नहीं की गई है।

12. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर हम यह तथ्य अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित नहीं पाते हैं कि परिवादी द्वारा क्रय की गई इलेक्ट्रिक वाहन में किसी प्रकार की कोई यांत्रिकी त्रुटि अथवा वाहन पिकअप न लेने एवं वाहन बार-बार बंद हो जाने की त्रुटि रही है। अतः हम विरोधी पक्षगण की ओर से किसी प्रकार की कोई सेवा में कमी किया जाना अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित नहीं पाते हैं, तदनुसार वांछित अनुतोष हेतु प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य न होने से, खारिज किया जाता है।

13. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

14. इस परिवाद में प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र, यदि कोई लंबित रहे हों, तो उन्हें तदनुसार, इस अंतिम आदेश के अन्तर्गत निराकृत माना जावेगा।

(आनंद कुमार सिंघल)
अध्यक्ष

(आलोक कुमार पाण्डेय)
सदस्य

Order Pronounced on: 29th May, 2026

Free Certified Copy
Serial No. Of the Application -----
Date of receipt of application -----
Name of the applicant ----- *Non-Applicant No-2*
Date of Disposal ----- *29/05/2026*
Date of preparation of Copy ----- *29/05/2026*
Date of dispatch of free certified copy of order -----
By Hand -----
By Post -----

अध्यक्ष *29/05/2026*
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग
विलासपुर (छ.ग.)